राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ12/मुख्या/याता/संचा/2020/307 दिनांक 21/5/20

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2020 तक बढाये गये लॉकडाउन के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइडलाईन की अनुपालना में निगम की वाहनें संचालित होने पर **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों में यात्रा करने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)निम्नानुसार जारी की जाती है:-**

- **सामान्य दिशा–निर्देश:–**

1. यात्रा के लिये निगम के बेवसाईट/मोबाईल एप/ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से अग्रिम में टिकिट बुक कराना अनिवार्य होगा तथा बस में टिकिट/नगद भुगतान नहीं करने पर प्रयास किये जायेगें।
2. वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुये अधिकतम 30 यात्री बैठाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सांय 07.00 बजें से प्रातः 07.00 बजें के मध्य रोडवेज की सेवायें संचालित नही की जायेगी।
4. वाहन में कोई यात्री पान, गुटखा, बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नही करेगा तथा न ही थूकेगा।
5. सभी यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं होने पर बस स्टैण्ड/बस के अन्दर प्रवेश नहीं मिलेगा।

- **मुख्य प्रबन्धको हेतु दिशा–निर्देश:–**

1. आगार कार्यशाला से प्रस्थान करने वाली समस्त वाहनों को अच्छी तरह से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. आगार के जिन बस स्टैण्ड पर बसों का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा उनमें सैनेटाइजेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. यह सुनिश्चित करें कि सभी वाहन निर्धारित स्थान पर ही रात्रि विश्राम करें। आगार मुख्यालय व केन्द्रीय बस स्टैण्डों पर रात्रि विश्राम करने वाले वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर वाहन रात्रि विश्राम नही करेगें।
4. सभी चालक/परिचालको कों राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप मास्क, हेण्डवाश अथवा हेंड सैनेटाईजर, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. यात्रियों को बस स्टैण्ड में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग करवानी होगी जो आगार प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में अन्य दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।
6. सभी वाहनों में यात्रियों के मध्य उचित दूरी बनाये रखने के लिये सीट एवं स्थान चिन्हित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक परिचक्र की समाप्ति के पश्चात वाहनों को आवश्यक रूप से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. आगार कार्यशाला में वाहनों को पर्याप्त दूरी पर खडा करवाया जावें।

Scanned with CamScanner

- **परिचालको हेतु दिशा–निर्देशः–**

1. परिचालक अनिवार्य रूप से हाथ सैनेटाईज करें एवं मास्क आदि का उपयोग सुनिश्चित करें।
2. परिचालक बस में यात्रियों को कतार के माध्यम से यात्रियों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुये प्रवेश करावें। बिना मास्क वाले यात्री को यात्रा नहीं करने का निर्देश ऊपर दिया जा चुका है। यात्रियों को बस में निर्धारित स्थानों से इधर–उधर नहीं जाने के संबंध में घोषणा कर दें तथा इसकी पालना सुनिश्चित करें।
3. चिन्हित सीट/स्थान पर यात्री उपलब्ध होने के पश्चात किसी यात्री को बस में प्रवेश न देवें। यह ध्यान रहे कि पूरी बुकिंग ऑनलाइन अग्रिम में होने पर ही वाहन संचालन किया जा रहा है।
4. यात्रियों को यात्रा से पूर्व अच्छे से हैण्डवाशिंग करने तथा यात्रा के दौरान स्वयं का हैंड सैनेटाईजर प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।

- **चालकों हेतु दिशा–निर्देशः–**

1. चालक बस का चार्ज लेने से पूर्व बस के सैनेटाईज होने के संबंध में भली–भांति जांच लेवे। अपना मास्क लगाये रखें तथा बीच रास्ते में सवारी न लेवें और न ही उतारें।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner